राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य का रिक्त पद

2123. **श्री रमाशंकर कौशिक** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य का एक पद पिछले 6-7 माह से रिक्त पड़ा हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पद को अभी तक न भरे जाने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा चलाये गये कार्यक्रम

2124. **श्री रमाशंकर कौशिक** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति औरी अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा इन वर्गो के उत्थान के लिए चलाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) इन कार्यक्रामें के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित धनराशि और समय सीमा का ब्यौरा क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्र विवरण में दिया गया हैं। (नीचे देखि)

(ख) वर्ष 1998-99 के लिए स्वीकृतियों का लक्ष्य 150.00 करोड़ रूपए हैं और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समय सीमा का जहां तक संबंध हैं निम्नलिखित पाइंट प्रस्तुत किए गए हैं:-

(1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगमों तथा अन्य अनुमोदित एजेंसियों (एस.सी.ए.) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

स्वीकृत मामलों के लिए राज्य माध्यम एजेंसियों को आशय पत्र जारी किए जाते हैं जिसमें योजनाओं के ब्यौरे और स्वीकृतियों के नियम तथा शर्त और स्वीकृतियों के नियम तथा शर्त और निबन्धन होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आशय पत्र के जारी करने की तारीख के 90 दिनों के भीतर राज्य माध्यम एजेंसियों को आशय पत्र स्वीकार करना होता हैं।

(3) प्रत्येक योजना के स्वरूप पर निर्भर करते हुए ऋणस्थगन अवधि निर्धारित की जाती हैं, इसके अलावा, एन एस डी सी द्वारा निमुक्ति की तारीख से राज्य माध्यम एजेंसियों को निधियों का उपयोग करने के लिए 90 दिनों की अवधि की अनुमति दी जाती हैं।

(4) आशय पत्र जारी होने की तारीख से 6 महीनों के भीतर राज्य माध्यम एजेंसियों को परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए सकारात्मक कदम उठाने होते है।

विवरण

वित्तीय कार्यक्रमों के ब्यौरे

सभी प्रकार के आय सृजक कार्यकलापों के लिए सहायता दी जाती हैं।

(1) **आवधिक ऋण सहायता**

30.00 लाख रूपए की लागत वाली परियोजनाओं/यूनिटों के लिए आवधिक ऋण सहायता पर विचार किया जाता हैं जिसमें परियोजना की लागत का अधिकतम 85% तक ऋण एन एस एफ डी सी द्वारा प्रदान किया जाता हैं।

(2) **बीज पूंजी सहायता**

राज्य वित्त निगमों/अन्य वित्त संस्थाओं से आवधिक ऋण का लाभ ले रहे उद्यमियों को बीज पूंजी सहायता दी जाती हैं, जो आवद्यिक ऋण प्रदानकर्त्ता संस्थानों द्वारा निर्धारित इक्विटी के निर्धारित शेयर लाने में सक्षम नहीं हैं। एन एफ डी सी निर्धारित इक्विटी राशि का 80% तक अथवा प्रति यूनिट/लाभ केन्द्र 30.00 लाख, जो भी कम हो, प्रदान करता हैं।

(3) **ब्रिज ऋण**

ब्रिज ऋण स्वीकृत निवेश सब्सिडी के लिए अथवा 30.00 लाख रूपए की लागत वाली परियोजनाओं के के लिए किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा स्वीकृत निधियों के किसी अन्य स्रोत के लिए दिया जाता हैं, परन्तु यह

परियोजना के कार्यान्वयन अवधि के भीतर संवितरण के लिए नहीं हैं।

(4) **कार्यशील पूंजी ऋण**

परियोजना की लागत के भाग के रूप में 3.00 लाख रूपए की लागत वाली परियोजनाओं के लिए सम्पूर्ण कार्यशील पर विचार किया जाता हैं। 3.00 लाख रूपए से अधिक और 30.00 लाख रूपए तक लागत की परियोजनाओं/यूनिटों के लिए परियोजना लागत के एक भाग के रूप में केबल कार्यशील पूंजी मार्जिन पर विचार किया जाता हैं। तथापि, विशेष अनुरोध पर एन एस एफ डी सी 7.00 लाख/एकक अथवा कार्यशील पूंजी राशि का 70% जो भी कम हो, के अध्यधीन कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान कर सकता हैं।

(5) **दक्षता और उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान**

एन एस एफ सी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दक्षता और उद्यमीय विकास कें लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवर्ती व्यय का 85% तक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता हैं।

किशोर गृहों में बाल भिखारी

2125. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में से ऐसे कितने किशोर गृह है जहां बाल भिखारियों को रखा जाता हैं;

(ख) इन किशोर गृहों का प्रमुख उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) ऐसे किशोर गृहों में रखे गये बाल भिखारियों को सरकार की ओर से क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश मे विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 251 किशोर गृहों की स्थापना की गई हैं। किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत उपेक्षित किशोरों को आश्रय में रखने के लिए किशोर गृहों की स्थापना की जाती हैं, इन गृहों में दी जाने वाली सुविधाओं में आवास, अनुरक्षण के साथ-साथ शिक्षा की सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास शामिल हैं।

Convention oo Animal Welfare

2126. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a convention on animal welfare was held at Dholka in Gujarat in December, 1998;

(b) if so, whether main focus of the convention was removal of cruelty towards animals, closing of illegal slaughter houses and protection of animals, besides the problems faced by panjarapls gaushalas and animal welfare organisations in the State; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) to (c) The information is being collected and will be laid an the table of the Hosue.

Financial Assistance to NGOs in N.E. States

2127. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) the number and names of NGOs which have taken financial assistance from Government in each State of the North Eastern Region with the amount of funds and schemes during the. Eighth Five Year Plan;

(b) whether the assistance to each State has been monitored in time; and

(c) if so, how the monitoring programme has been done?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) A statement is attached. *(see* below)

(b) and (c) Grant-in-aid is released to NGOs on the basis of detailed proposals